



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:- एफ 3(50) जांच/पंरावि/सीकर/2025/ई-फाईल 58613 जयपुर, दिनांक यथा हस्ताक्षरित

आदेश

श्रीमती बिमला देवी, निवर्तमान सरपंच हाल प्रशासक, ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल, पंचायत समिति पाटन, जिला सीकर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यो पर कार्यो के बोर्ड नहीं लगाये गये, जबकि कार्यो के बोर्ड की राशि का भुगतान किया गया है, साथ ही सरकारी कार्यालयों को पट्टे नियम 162 के बजाय 158 के तहत जारी करने संबंधी प्रकरण में दोषी माना गया है। जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा श्रीमती बिमला देवी, निवर्तमान सरपंच हाल प्रशासक, ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल, पंचायत समिति पाटन, जिला सीकर को प्रशासक के पद से पदमुक्त किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

वर्तमान में श्रीमती बिमला देवी, निवर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल, पंचायत समिति पाटन, जिला सीकर को जिला कलेक्टर सीकर के आदेश दिनांक 16.01.2025 द्वारा उक्त ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अतः विभागीय आदेश क्रमांक 13524345 दिनांक 11.02.2025 की पालना में राज्य सरकार द्वारा लिये गये विनिश्चय के क्रम में श्रीमती बिमला देवी, निवर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल, पंचायत समिति पाटन, जिला सीकर को ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल के प्रशासक पद से पदमुक्त किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमादित है।

आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव ।।(जांच)

प्रतिलिपि:- निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय(पंरावि)
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय (पंरावि)
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय (पंरावि)
4. संभागीय आयुक्त, जयपुर। (रजि0)
5. जिला कलेक्टर, सीकर को विभागीय आदेश 13524345 दिनांक 11.02.2025 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का श्रम करावें। (रजि0)
6. मुख्य/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर। (रजि0)
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पाटन, जिला सीकर। (रजि0)
8. श्रीमती बिमला देवी, निवर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल, पंचायत समिति सीकर, जिला सीकर।(रजि0)
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव ।।(जांच)